न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

तारीख रजू:– 01.11.2017

मुकदमा नं0 121/2017

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार यादव
R.A.S.

भगवानसिंह पुत्र रतनलाल जाति माली निवासी खिजूरवाडा वार्ड नं0 38 नगर परिषद हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली ———————————— सायल

बनाम

1. हरिचरण पुत्र पिल्लू
2. सुमेर पुत्र हरिचरण
3. धनसिंह पुत्र हरिचरण
4. मुरारी पुत्र हरिचरण

जाति माली निवासी खिजूरवाडा वार्ड नं038 नगर परिषद हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली —————— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री पी0एल0 गोयल एडवोकेट सायल

निर्णय

दिनांक :– 16.03.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायल ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर अंकित किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 7313 रकबा 0.10 है0, 7314 रकबा 0.11 है0, 7315 रकबा 0.11 है0, 7316 रकबा 0.11 है0, 7317 रकबा 0.12 है0, 7323/2 रकबा 0.39 है0, 7324 रकबा 0.22 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.16 है0 वाके ग्राम खिजूरबाडा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में स्थित है। जो सायल के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। राजस्व रिकार्ड में उक्त खसरा नम्बरान की खातेदारी सायल एवं सायल की मॉ कलावती बेबा रतनलाल के नाम दर्ज है। सायल की मॉ कलावती फौत हो चुकी है। जिसका विरासत का नामातकरण सायल के नाम नहीं खुला है। सायल ही मृतक कलावती का जायन्दा पुत्र है, जो मृतक कलावती के तर्के पर काबिज है और जायज मुकाम काननी वारिस है। नामान्तकरण नहीं खुलने से जमाबदी में सायल की मॉ कलावती का नाम दर्ज है। उक्त आराजीयात से अन्य किसी व्यक्ति का कोई सम्बध किसी प्रकार का नहीं है। गैरसायला अत्यत चालाक एवं बेईमान किस्म के व्यक्ति है। जो सायल की खातेदारी की भूमि पर झगडा फिसाद पैदा करते हैं और सायल को बेदखल कर स्वंय कब्जा करना चाहते हैं। सायल दिनांक 24.10.2017 को उक्त आराजीयात की सार संभाल एवं सफाई करने के लिए गया तो गैरसायलान मौके पर झगडा करने की नीयत से आ गये और सायल के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत पैदा करने लगे। सायल के मना करने पर गैरसायलान झगडा करने पर आमादा हुए और गैरसायलान ने खसरा नम्बर 7313 में निर्माण करने के लिए जबरदस्ती पत्थर डाल दिया है और सायल को बेदखल कर स्वंय कब्जा करके कृषि भूमि को आबादी भूमि में परिवर्त करना चाहते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.17 12:09:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

गैरसायलान ने सायल को एलानियाँ धमकी दी कि उक्त आराजीयात से तुझे बेदखल कर स्वंय कब्जा करके रहेंगे तथा निर्माण कार्य करके रहेंगे। मौके पर दुवारा मना करने के लिए आ गया तो तुझे जान से मार देंगे। गैरसायलान ने इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए एक नाजायज गिरोह बना रखा है। गैरसायलान अगर अपने उद्देश्य में सफल हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति पैदा होगी तथा हक तलफी होगी, जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं होगी। सायल को अपनी भूमि से बंचित रहना पडेगा। सायल के हकूकों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। गैरसायलान सायल के समझाने पर अजखुद मानने को तैयार नहीं है। इसलिए न्यायहित में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। सायल का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू पूरी तरह से साबित है। गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने में कोई क्षति नहीं है जबकि पाबन्द न किये जाने में सायल को अपूर्तनीय क्षति है, जिसकी पूर्ति दृव्य में सम्भव नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा दौराने दावा इस अमर के लिए पाबन्द फरमाया जावे कि आराजीयात खसरा नम्बर 7313 रकबा 0.10 है0, 7314 रकबा 0.11 है0, 7315 रकबा 0.11 है0, 7316 रकबा 0.11 है0, 7317 रकबा 0.12 है0, 7323/2 रकबा 0.39 है0, 7324 रकबा 0.22 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.16 है0 वाके ग्राम खिजूरबाडा हिण्डौन में सायल के कब्जे काश्त में कोई मजाहमत मदाखलत पैदा नहीं करें। सायल को बेदखल कर स्वंय कब्जा नहीं करें तथा भूमि में किसी भी भाग में अनाधिकृत रूप से कोई निर्माण कार्य नहीं करें ना ही किसी अन्य से करायें। सायल को शान्तिपूर्ण तरीके से भूमि को काश्त करने देवें। कोई झगडा फिसाद नहीं करें तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे सायल के हकूकों पर प्रतिकूल प्रभाव पडे। कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन नहीं करें। रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। बाद तामील गैरसायलान की ओर से श्री रामखिलाडी सैनी एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा एवं जबाव प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए दिनांक 05.03.2018 को समय चाहा। किन्तु गैरसायलान की ओर से ना तो बकालतनामा पेश हुआ और ना ही जबाव प्रार्थना पत्र पेश हुआ तथा दिनांक 05.01.2021 को गैरसायलान एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील सायल ने दस्तावे[illegible] में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071 से 74 पेश की है।

सायल अधिवक्ता उपस्थित [illegible] अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर एकतरफा बहस सुनी गई। [illegible] अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.17 12:09:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

सायल अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070 से 73 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 7313 रकबा 0.10 है0, 7314 रकबा 0.11 है0, 7315 रकबा 0.11 है0, 7316 रकबा 0.11 है0, 7317 रकबा 0.12 है0, 7323/2 रकबा 0.39 है0, 7324 रकबा 0.22 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.16 है0 वाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी भगवानसिंह पुत्र रतनलाल, मु0 कलावती बेबा रतनलाल जाति माली निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 7313 रकबा 0.10 है0, 7314 रकबा 0.11 है0, 7315 रकबा 0.11 है0, 7316 रकबा 0.11 है0, 7317 रकबा 0.12 है0, 7323/2 रकबा 0.39 है0, 7324 रकबा 0.22 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.16 है0 वाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन का सायल एवं उसकी मॉ कलावती रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। सायल का उक्त प्रकरण इस न्यायालय में वर्ष 2017 से विचाराधीन है। उक्त अवधि में गैरसायलान के द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो कि गैरसायलान के द्वारा सायल के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा की जा रही हो। उक्त विवादित आराजीयात की खातेदारी सायल के हक में है, गैरसायलान उसका किसी भी प्रकार से हस्तातंरण नहीं कर सकते है। जब उक्त विवादित आराजीयात से गैरसायलान का कोई सम्बन्ध ही किसी प्रकार का नहीं है तो सायल को कोई क्षति किस प्रकार होगी यह तथ्य स्पष्ट नहीं होता है। ऐसे हालात में सायल को अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू साबित नहीं होता है। सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 7313 रकबा 0.10 है0, 7314 रकबा 0.11 है0, 7315 रकबा 0.11 है0, 7316 रकबा 0.11 है0, 7317 रकबा 0.12 है0, 7323/2 रकबा 0.39 है0, 7324 रकबा 0.22 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.16 है0 वाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल प्रार्थना पत्र के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.17 12:09:07 IST
Reason: SelfAttested

16.03.2021

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

Scanned by CamScanner